न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00062

रामस्वरूप आत्मज चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बाली बाई पुत्री चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 54 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी में कुल 02 किता की रकबा 2.36 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम बक्सपुरा तहसील रामगंजमण्डी में कुल 02 किता की रकबा 2.38 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादिनी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 01 का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है । वादी एवं प्रतिवादी उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी के निहित 1/2 को वादिनी के पृथक खाते में दर्ज किया जाकर पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.04.2019 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.01.2020 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ऑर्डर शीट पर ही सरसरी तौर पर सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट के कथन पर विश्वास कर दावा वादिनी स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। निर्णय में न तो वादपत्र व जवाबदावे में अंकित तथ्यों का उल्लेख है और न ही साक्ष्य और तनकीयात का उल्लेख किया गया है । रेस्पोडेन्ट का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है। वह शादी के बाद से ही ससुराल में निवास करती चली आ रही है । अपीलान्ट अपने पिता का एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी है । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट कम 01 का कोई हक व अधिकार निहित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् वादिनी के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया था और यह कथन किया था कि अपने पिता के समय से ही इस आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है और वादिनी को दान–दहेज देकर समय–समय पर आर्थिक सहायता दी गयी । पिता की मृत्यु का सारा खर्चा प्रतिवादी ने ही उठाया था । वादिनी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णय पारित करते हुए दिनांक 01.04.2019 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की और दिनांक 31.01.2020 से अंतिम डिक्री पारित की है । आदेशिका पर सरसरी तौर से बिना तथ्यों का विवेचन करते हुए अंतिम डिक्री पारित की है । निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है न तो साक्ष्य की विवेचन की है और न ही तनकियों का उल्लेख किया है । 1/2 हिस्से के बाबत् अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलान्ट के द्वारा अपील मीमो में अंतिम डिक्री पर उन्हें क्या आपत्ति है और अंतिम डिक्री में क्या त्रुटि है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अपील मीमो में मुख्य रूप से उनके द्वारा वादिनी के हिस्से के बाबत् आपत्ति की है । वादिनी का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा प्रारम्भिक डिक्री के माध्यम से तय हुआ है और प्रारम्भिक डिक्री की अपील पूर्व में अपीलान्ट के द्वारा की जा चुकी है जिसका निर्णय भी इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.12.2019 को किया जा चुका है । अंतिम डिक्री से अपीलान्ट को यदि विभाजन प्रस्ताव अथवा विभाजन में उनको जो आराजी मिली है उसमें कोई आपत्ति है तो वो उसका उल्लेख करते हुए अपील कर सकते हैं परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई कथन अपने अपील मीमो में नहीं किया गया है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2020 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00062

रामस्वरूप आत्मज चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बाली बाई पुत्री चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——**प्रत्यर्थी**

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 108/दावा/2016

बाली बाई पुत्री चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

——वादी

बनाम

1. रामस्वरूप आत्मज चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 23.02.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र नामा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 23.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

23/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा